निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 24 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** के माह **अप्रैल 2018 से माह मार्च 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हितेन्द्र चिकारा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.09.2020 से 06.10.2020 तक श्री एस. के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 04/2016 से माह 03/2018 तक की लेखापरीक्षा श्री डी. के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सुश्री सरूनी शरणा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 19.07.2018 से 27.07.2018 तक की गयी थी।

(iii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऋषिकेश संभाग क्षेत्र के वाहनों के परमिट, लाईसेंस, पंजीकरण, प्रवर्तन, PUC इत्यादि हेतु उत्तरदायी हैं।

(iv) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		मुख्यलेखाशीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य	बचत/समर्पण	टिप्पणी
	स्थापना	गैरस्थापना		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय			
2017-18	--	--	3055	--	--	57.26	57.26	--		--
2018-19	--	--	3055	--	--	78.07	78.07	--		--
2019-20	--	--	3055	--	--	71.71	71.71	--		--

(v) विगत तीन वर्षों में अर्जित राजस्व का ब्योरा निमन्वत है:

वित्तीय वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	3991.59
2018-19	4471.09
2019-20	4857.77

(vi) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

↓

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग

↓

संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग

↓

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग

(vii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **माह मार्च 2019 व जून 2019** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 1 : डीलरों के द्वारा कब्जे में रखे गए वाहनों पर ₹29.38 लाख का कर जमा न किया जाना

उत्तराखंड शासन, परिवहन अनुभाग-1 संख्या 06/ix-1/106/2012/2019 देहरादून दिनांक 02 जनवरी 2019 अधिसूचना, मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या - 12 वर्ष 2003) की धारा 4 उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखंड राज्य में डीलर के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गए मोटरयान के (i) दुपहिया वाहन पर ₹100/- तथा हल्का मोटर यान पर ₹200/- का कर वार्षिक दर प्रति वाहन देय होगा। कर का निर्धारण एवं भुगतान गत कैलेंडर वर्ष में विक्रय की गई वाहनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार के वितीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय के अंतर्गत वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 (कलेंडर वर्ष) में संलग्न सूची के अनुसार डीलरों के द्वारा वाहनों की बिक्री की गई थी। उक्त वाहनों की बिक्री पर नियमानुसार वर्ष 2018 के लिए ₹969600/- का कर दिनांक 15 जनवरी 2019 तक राजस्व खाते में जमा किया जाना था तथा वर्ष 2019 के लिए ₹1968100/- का कर दिनांक 15 जनवरी 2020 तक राजस्व खाते में जमा किया जाना था जोकि लेखा परीक्षा तिथि (अगस्त 2020) तक जमा नहीं किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा कलेंडर वर्ष 2018 एवं 2019 के लिए डीलरों के कब्जे में रखे गए वाहनों पर कुल ₹2937700/- का मोटरयान कर डीलरों द्वारा राजस्व खाते में जमा नहीं करवाया गया। जिस पर नियमानुसार शास्ति भी, जमा करने की तिथि तक, आरोपनीय होगी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संबन्धित प्रकरणों में कुछ डीलरों द्वारा मोटर यान कर जमा किया गया है तथा कुछ डीलरों का पंजीकरण हरिद्वार कार्यालय में है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मोटर यान कर जमा की गयी साक्ष्य सूची में कर वर्ष 2018 में जमा किया गया है जोकि कलेंडर वर्ष 2017 में विक्रय किए गए वाहनों से संबन्धित डीलर का मोटर यान कर था। आपत्तिगत संलग्न सूची में वर्ष 2018 तथा वर्ष 2019 में विक्रय किए गए वाहनों के आधार पर मोटर यान कर आरोपित किए गए हैं। जहां तक कुछ डीलरों के हरिद्वार कार्यालय में पंजीकृत होने का विषय है तो जब तक रुड़की में कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नहीं

स्थापित था तब तक हरिद्वार कार्यालय में मोटर यान कर जमा किया जाना था, लेकिन कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की के स्थापित होने के पश्चात सभी डीलरों का मोटर यान कर नियमानुसार कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की में जमा किया जाना चाहिए। साथ ही उक्त डीलरों द्वारा हरिद्वार कार्यालय में जमा किए गए मोटर यान कर से संबन्धित कोई साक्ष्य भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिससे यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि उक्त डीलरों द्वारा मोटर यान कर की वसूली कि गयी या नहीं।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 1: माल वाहनों के बकाया कर धनराशि ₹22.99 लाख व शास्ति ₹11.96 लाख की लंबित वसूली।

उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) जनवरी 2019 की धारा 4(2) के अनुसार, किसी माल वाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डीजाइन किए गए यान, मोटर कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटरकैब से भिन्न) और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखंड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के संबंध में ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस वाहन के संबंध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो। इस उपधारा के अधीन तिमाही कर के बजाय ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, भुगतान किया जा सकेगा। धारा 9 के अनुसार, धारा 4 की उप धारा 2 के अधीन संदेय कर, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के समय मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए कैलेंडर माह के लिए अग्रिम में और अन्य के लिए 1 वर्ष के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती तिमाही के प्रथम कैलेंडर माह के 15 तारीख को या उसके पूर्व या अगले अनुवर्ती वर्ष के प्रथम कैलेंडर माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा 20 की उप धारा 1 व 3 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के अधीन देय मोटर वाहन कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व बकाए की भांति वसूलीय होगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकायों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथा विहित प्रपत्र में मांग करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे। धारा 9 की उपधारा 3 के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर का भुगतान न किए जाने की स्थिति में देयकर के अतिरिक्त देय धनराशि से अनधिक शास्ति देय होगी जिसके लिए स्वामी और संचालक संयुक्त रूप से और प्रथक-प्रथक देनदार होंगे। उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली 2003 (यथा संशोधित) की धारा 24 में शास्ति के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी मोटरयान के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया जाता है, वहाँ प्रतिमाह देयकर के 5% की दर से शास्ति अथवा उसका आंशिक भाग संदेय होगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की के अभिलेखों की नमूना जांच में संज्ञान में आया कि 55 मालवाहनों (41 HGV व 14 MGV) से संबन्धित ₹22.99 लाख का कर एवं ₹11.96 लाख की शास्ति, संबन्धित करदाताओं द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक जमा नहीं कराया गया था। परिणामतः संबन्धित करदाताओं से ₹22.99 लाख के कर की वसूली व ₹ 11.96 लाख की शास्ति (कुल ₹34.95 लाख) की वसूली लेखापरीक्षा तिथि तक लंबित थी।

उक्त के संबंध में इंगित की जाने पर इकाई द्वारा वसूली की कार्यवाही यथाशीघ्र किए जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2: समर्पित वाहनों से ₹ 10.38 लाख के कर की वसूली न किया जाना ।

उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 22 में मोटरयान के अनुपयोग की दशा में वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान को कराधान अधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नियम 22(4) के अनुसार कराधान अधिकारी किसी भी यान के अनुपयोग की सूचना को एक कलेंडर वर्ष में एक समय में तीन कलेंडर माह से अधिक समय के लिए स्वीकृत नहीं करेगा फिर भी यदि यान का स्वामी ₹ 100/- के शुल्क के साथ आवेदन करे तो कराधान अधिकारी द्वारा पुनः तीन कलेंडर माह की अवधि के लिए स्वीकृति दी जा सकती है परंतु किसी भी दशा में मोटरयान को एक कलेंडर वर्ष में 6 माह से अधिक अवधि के अभ्यर्पण की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। यदि ऐसा कोई मोटरयान अभ्यर्पण की स्वीकृति की अवधि बढ़ाए बिना एक कलेंडर वर्ष में 3 कलेंडर माह से अधिक समय के लिए अभ्यर्पित रहता है तो इसे प्रतिसंहत किया हुआ समझा जाएगा और यान का स्वामी कर का देनदार होगा।

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुडकी, हरिद्वार के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के अभ्यर्पित (समर्पित) वाहनों से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में अपया गया कि संलग्न सूची के 14 वाहन स्वामियों से कर की वसूली नहीं की गयी थी। वाहन स्वामियों द्वारा तीन कलेंडर माह की अवधि के उपरांत भी निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया एवं अभ्यर्पित अवधि बढ़ाए जाने की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गयी थी। वाहन तीन कलेंडर माह से अधिक की अवधि के उपरांत भी लेखापरीक्षा तिथि (08/2020) तक समर्पित थे परंतु कार्यालय द्वारा संलग्न सूची के 14 वाहनों पर नियमानुसार ₹1037750/- (मार्च 2020 तक) का कर अधिरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त देय कर पर नियमानुसार शास्ति भी आरोपनीय होगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वाहन स्वामियों से नियमानुसार कर की वसूली की जाएगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 3: मैक्सी कैब/मोटर कैब एवं बस पर लंबित बकाया कर ₹(3.49+5.72)= ₹9.20 लाख की वसूली न किया जाना।

उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) जनवरी 2019 की धारा 4(2) के अनुसार, किसी माल वाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डीजाइन किए गए यान, मोटर कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटरकैब से भिन्न) और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखंड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के संबंध में ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस वाहन के संबंध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो। इस उपधारा के अधीन तिमाही कर के बजाय ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, भुगतान किया जा सकेगा। धारा 9 के अनुसार, धारा 4 की उप धारा 2 के अधीन संदेय कर, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के समय मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए कैलेंडर माह के लिए अग्रिम में और अन्य के लिए 1 वर्ष के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती तिमाही के प्रथम कैलेंडर माह के 15 तारीख को या उसके पूर्व या अगले अनुवर्ती वर्ष के प्रथम कैलेंडर माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा 20 की उप धारा 1 व 3 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के अधीन देय मोटर वाहन कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व बकाए की भांति वसूलीय होगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकायों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथा विहित प्रपत्र में मांग करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे। धारा 9 की उपधारा 3 के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर का भुगतान न किए जाने की स्थिति में देयकर के अतिरिक्त देय धनराशि से अनधिक शास्ति देय होगी जिसके लिए स्वामी और संचालक संयुक्त रूप से और प्रथक-प्रथक देनदार होंगे। उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली 2003 (यथा संशोधित) की धारा 24 में शास्ति के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी मोटरयान के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया जाता है, वहाँ प्रतिमाह देयकर के 5% की दर से शास्ति अथवा उसका आंशिक भाग संदेय होगा।

उत्तराखंड शासन, परिवहन अनुभाग-1 संख्या-03/ix-1/106/2012/2019 दिनांक 02 जनवरी 2019 अधिसूचना, मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2013 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके के क्रं. सं. - 1(क) के प्रावधानों के अनुसार मोटर कैब/Maxi कैब के मासिक कर की दर ₹ 200/- निर्धारित की गयी है।

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार के मोटर कैब/Maxi कैब एवं बस से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुल 29 मोटर कैब/Maxi कैब का मोटरयान कर दिनांक 31.03.2020 तक ₹348600/- एवं 16 बसों पर दिनांक 31.03.2020 तक ₹571500/- जमा नहीं किया गया है (सूची संलग्न) जिन पर नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपित होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वाहन स्वामियों से नियमानुसार कर की वसूली की जाएगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1	70/ARTO/2016-17	1	1,2	--
2	RS/ARTO-51/2018-19	--	1,2,3	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..............................शून्य....................................

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः NIL

2. सतत् अनियमितताएः NIL

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i)	**श्री शैलेश तिवारी**	**सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी**	**14.08.2014 से 15.08.2019 तक**
ii)	**श्री ज्योति शंकर मिश्र**	**सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी**	**16 अगस्त 2019 से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II(Non PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)